रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 1992/आश्विन 16, 1914
No. 658] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 1992/ASVINA 16, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1992

का. आ. 762(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 9 के उपपैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का. आ. 312(अ) तारीख 21 अप्रैल, 1981 को जहां तक उसका संबंध

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी के क्रम सं. 19 और 20 में विनिर्दिष्ट सूत्रयोगों से है, अधिक्रान्त करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 5 में यथाविनिर्दिष्ट कीमत को, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग II के सूत्रयोगों की, जिनकी प्रबलता और पैक आकार क्रमशः उसके स्तम्भ 3 और 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, अधिकतम कीमत, जब ब्राण्ड नाम से बेची जाएं, जिसमें उत्पादशुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, सम्मिलित नहीं हैं, नियत करती है :—

सारणी

क्र. सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड टिकियां (चीनी लेपित)	10 मिग्रा/टिकिया	10 का पत्ता	1.12
2.	प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड टिकियां (चीनी लेपित)	25 मिग्रा/टिकियां	10 का पत्ता	1.73"

[सं. 8 (67)/87 – पी आई (II)]
विनोद वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण :– मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण सं. 169, भाग–2, खण्ड 3 (ii) दिनांक 21-4-1981 में भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 312(अ) तारीख 21 अप्रैल, 1981 के रूप में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 8th October, 1992

S.O. 762(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, and in supersession of the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Deptt. of Chemicals & Fertilizers) No. S.O. 312 (E) dated 21st April 1981 in so far as it relates

to the formulations specified at S.No. 19 and 20 of the Table annexed to the said order, the Central Government hereby fixes the prices as specified on column 5 of the Table below as the ceiling price exclusive of excise duty and local taxes, if any of each of the Category II formulations specified in corresponding entry in column 2 of the said Table when sold under brand name with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns 3 and 4 thereof :—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Promethazine HCl Tabs (Suger Coated)	10 mg/Tab	10's Strip	1.12
2.	Promethazine HCl Tabs (Sugar Coated)	25 mg/Tab	10's Strip	1.73"

[No. 8(67)/87-PI(II)]
VINOD VAISH, Jt. Secy.

NOTE : The Principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary No. 169, Part II, Section 3 (ii) dated 21-04-1981, vide Government of India notification, erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 312(E) dated 21st April, 1981.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992